रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 1980/श्रावण 23, 1902
No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 1980/SRAVANA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मोटरयान और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1980

सा० का० नि० 474(अ).—केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 17 की उपधारा (2) और धारा 123 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मंगलौर पत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) विनियम, 1980 है।

(2) ये 1 अप्रैल 1980 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है ,

(ख) "समिति" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ।

3. समिति के अधिवेशन —समिति का अधिवेशन नव मंगलौर पत्तम्बूर के परिसर में कार्यालय समय के दौरान ऐसी तारीख पर होंगे, जो समिति का सभापति समय-समय पर अवधारित करे।

4. कार्यसूची कागज-पत्र का परिचालन:—समिति के विशेष अधिवेशन से भिन्न किसी अधिवेशन के लिए कार्य-सूची कागज-पत्र अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित किए जायेंगे और विशेष अधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएंगे।

5. समिति का कामकाज किए जाने के लिए गणपूर्ति :—समिति के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

6. समिति का सभापति—समिति का सभापति बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति का सदस्य होगा ।

7. अधिवेशनों का सभापतित्व किया जाना—समिति का सभापति, समिति के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए अपने में से किसी एक को चुन सकते हैं ।

8. कार्य सूची में सम्मिलित न की गई मदों पर विचार:—समिति के किसी अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति, स्वविवेक से अधिवेशन में (जिसके अन्तर्गत विशेष अधिवेशन भी है) किसी ऐसी मद से, जो कार्य-सूची में विचार-विमर्श के लिए पहले ही सम्मिलित नहीं की गई है, उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा, जब उसकी राय में वह इतनी महत्वपूर्ण और आवश्यक हो कि समिति के किसी पश्चात्वर्ती अधिवेशन में उस पर विचार-विमर्श किया जाना रोका नहीं जा सकता ।

9. समिति के अधिवेशन में विनिश्चय:—समिति के किसी अधिवेशन में सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे और जिस प्रस्ताव पर मतदान हुआ है उसके पक्ष और विपक्ष में समान मत होने की दशा में अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का मत द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

10. मतदान:—यदि समिति के किसी सदस्य द्वारा मतदान कराने की मांग की जाती है तो मतदान करने वाले सदस्यों के नाम और उनके मतों की प्रकृति अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा अभिलिखित की जाएगी।

11. अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त :

(1) समिति के प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त अधिवेशन समाप्ति पर यथाशीघ्र अधिवेशन का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा अभिलिखित और हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्य-वृत्त में उल्लिखित किए जाएंगे।

(3) ऐसे प्रत्येक अधिवेशन का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाएगा ।

12. अधिवेशन का स्थगन :—समिति के किसी अधिवेशन का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों की सहमति से अधिवेशन ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख तक के लिए स्थगित कर सकता है जो उस अधिवेशन में घोषित कर दी जाएगी और ऐसी दशा में उसकी संसूचना अधिवेशन में अनुपस्थित सदस्यों को तुरन्त भेजी जाएगी या उस तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व सभी सदस्यों की संसूचित की जाएगी ।

13. विशेष अधिवेशन बुलाया जाना—बोर्ड का अध्यक्ष समिति का विशेष अधिवेशन अपने प्रस्ताव पर बुला सकता है और समिति के कम से कम दो सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाएगा ।

[फा०सं० पी डब्ल्यू/पी जी एल-8/80]

एम० आर० गथवाल, अवर सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.